जाता सुझाव दिया है।

यह एक कनस्तर में समा सकती है।

से भेड़ पालकों की रोजीरोटी मुश्किल में

या,'' केंद्रीय ऊन विकास
ई, जोधपुर ने उत्तर प्रदेश के
जिलों- प्रयागराज, कौशांबी,
र्जापुर, वाराणसी, चंदौली और
ही को ऊन विकास के लिए
ा था, जहां भेड़ पालन को
साहन दिया गया।'' इन क्षेत्रों
भेड़ों से मिलने वाली ऊन को
णसी, भदोही, मिर्जापुर जैसे
ों में स्थित कालीन उद्योग को
ा जाता था, लेकिन पिछले
छ समय से हालात बदल गए
दरअसल सिंथेटिक ऊन का
योग बढ़ने से भेड़ की ऊन का
व 35-40 रुपये प्रति किलो से
कर 5-25 रुपये प्रति किलो

पर आ गया है, जिससे भेड़ पालक आर्थिक तंगी में हैं।

मिर्जापुर स्थित भेड़ एवं ऊन मंडलीय कार्यालय के परियोजना निदेशक डाक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि इन छह जिलों में 3.75 लाख भेड़ें हैं और लगभग 20,000 भेड़ पालक हैं। ऊन का भाव गिरने से अब भेड़ पालक मीट के लिए भेड़े पालने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। भारत भूषण ने बताया कि ऊन की मांग कम होने से अब ऐसी भेड़ें पाली जा रही हैं, जिनमें मांस अधिक होता है और पालकों को उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं।

इस संबंध में वह मुजफ्फरनगरी नस्ल की भेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि साल भर में भेड़ का बच्चा वयस्क हो जाता है और एक भेड़ 3000 रुपये से 4,000 रुपये में बिक जाती है जिससे किसान को अच्छी आमदनी हो जाती है। मादा भेड़ साल भर में दो बार बच्चे देती है। इस तरह से किसान अब मुजफ्फरनगरी नस्ल की भेड़ की संख्या बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वार्ष्णेय ने बताया कि मई, 2018 में हुई नीलामी में 144 क्विंटल ऊन की बिक्री हुई थी और भाव गिरकर 5-10 रुपये किलो आ गया था।

मामले में भारत सातवें स्थान पर

र होने
18 में
ी है।
नकारी
ें रुपये
लर के
लर के
र्ट ऐसे
है कि
से बड़ी
मार्किट
है कि
दुनिया
2025

तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्वबैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में भारत की जीडीपी का आकार 2,726.32 अरब डॉलर रहा। इसकी तुलना में फ्रांस का जीडीपी 2,777.53 अरब डॉलर और ब्रिटेन का 2,825.20 अरब डॉलर रहा। इससे पहले 2017 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,650 अरब डॉलर था। उस समय भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसी तरह फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2017 में क्रमशः 2,590 अरब डॉलर और 2,640 अरब डॉलर की थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

आईआईटी के छात्रों की नयी खोज से गाड़ी चलाना होगा आसान

नयी दिल्ली/पीटीआई। भारतीय अनुसंधान संस्थान (आईआईटी) के छात्रों ने एक ऐसा 'स्मार्ट सन वाइजर' विकसित किया है जो तेज धूप में सूर्य की चौंधियाने वाली रोशनी के कारण वाहन चलाने में होने वाली परेशानी को दूर करेगा। यह यंत्र अपने आप धूप का पता लगाकर सूर्य की रोशनी को सीधे आंखों तक पहुंचने से रोकने में मदद करेगा। आईआईटी गांधीनगर में केमिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के पेटेंट के लिये आवेदन भी किया है। इस यंत्र का नाम 'सन प्रोटेक्ट' रखा गया है। 'स्मार्ट वाइजर' यूएसबी चार्जिंग प्वाइंट से चार्ज होगा और सक्शन कप के माध्यम से इसे कार के डैशबोर्ड पर लगाया जायेगा। इस यंत्र में माइक्रोकंट्रोलर, सेंसर और इलेक्ट्रिक मीटर लगे होंगे। यह यंत्र सूर्य की रोशनी को फिल्टर करेगा।

क्षमता 2017 में 1,92,162 मेगावाट और 2018 में 1,97,171 मेगावाट थी। तापीय बिजली संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के आंकड़ों के अनुसार 2016 में इन बिजलीघरों से प्रति दिन 22.10 मिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड, 24,620 टन सल्फर डाई आक्साइड और 25,331 टन नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन हुआ। मार्च 2019 तक यह मात्रा बढ़कर कार्बन डाई आक्साइड की प्रति दिन 25.30 मिलियन टन ,सल्फर डाई आक्साइड की 25,853 टन और नाइट्रोजन आक्साइड की 26,600 टन हो गयी। बिजली संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों की जानकारी देते हुये मंत्रालय ने बताया कि उत्सर्जन मानकों के पालन की बोर्ड की केन्द्रीय और राज्य इकाइयों के माध्यम से सख्त निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 2016-17 में शुरु कंप्यूटर जनित चेतावनी के आधार पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की निगरानी भी शुरु की गयी। इसके तहत 14 जून 2019 तक 592 औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के आधार पर मानकों का उल्लंघन कर रही इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी।

बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फोन : 9214018855
E. : baidfinance@baidgroup.in • W. : www.balfc.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 13 अगस्त, 2019 मंगलवार को शाम 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 में आयोजित की जा रही है जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.balfc.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
सीएस, नम्रता सजनानी
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) (FCS-10030)

दिनांक : 3 अगस्त, 2019
स्थान : जयपुर

HGIEL एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L45201RJ2003PLC018049
पंजीकृत कार्यालय : 14, पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान-342001
फोन: 0291-2515327, वेबसाईट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019 को होटल रेडीसन, गौरव पथ रोड, 8, रेसीडेन्सी रोड, जोधपुर राजस्थान 342001 में आयोजित की जायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों एकल एवं समेकित पर विचार एवं स्वीकृत दी जायेगी और अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर चर्चा की जायेगी। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.hginfra.com के निवेशक अनुभाग पर उपलब्ध है और साथ ही बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ताक्षर
अंकिता मेहरा
(कंपनी सचिव)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 3 अगस्त, 2019

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक : 637 :- जाहिर आम सूचना -: दिनांक :-01-08-2019

मूल आवंटी श्रीमती शांता देवी भाटिया पत्नीश्री बेलाराम भाटिया को सामान्य पंजीकरण योजना वर्ष 1978 में चालान संख्या 3541 के द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवास हेतु कराये गए पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की बापूनगर योजना में आवास संख्या 3-ट-17 का आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 14231 दिनांक 26.12.1979 जारी किया गया राशि जमा होने पर आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 23.08.1980 को सुपुर्द किया गया इस प्रकार हाल रिकॉर्ड में उक्त आवास संख्या 3-ट-17 बापूनगर श्रीमती शांता देवी भाटिया पत्नी श्री बेलाराम भाटिया के नाम दर्ज है।

अब आवास संख्या 3-ट-17 योजना बापूनगर के मूल आवंटी श्रीमती शांता देवी भाटिया पत्नीश्री बेलाराम भाटिया की मृत्यु पश्चात उनके वारिस / उत्तराधिकारी पुत्री श्रीमती पारवती भाटिया पत्नीश्री भगवानदास भाटिया के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर उक्त आवास का नामांतरण / हस्तांतरण श्रीमती पारवती भाटिया पत्नीश्री भगवानदास भाटिया के पक्ष में करने की कार्यवाही इस कार्यालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी /आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता- राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक : 608 :- जाहिर आम सूचना -: दिनांक :-30-07-2019

आवास संख्या 6-इ-15 (एल.आई.जी.) योजना शास्त्री नगर विस्तार शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्री विजय कुमार पंचोली पुत्र श्री इन्द्र लाल शर्मा को विशिष्ट पंजीकरण योजना-1967 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 733 दिनांक 18-07-1991 के द्वारा किया गया। भौतिक कब्जा पत्र दिनांक 10.10.1991 को सुपूर्द किया गया। मूल आवंटी श्री विजय कुमार पंचोली पुत्र श्री इन्द्र लाल शर्मा द्वारा दिनांक 30.09.1995 को जरिये अपंजीकृत दस्तावेजों के उक्त आवास का विक्रय श्री घेवरचन्द जैन (पीपाड़ा) पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन (पीपाड़ा) को किया गया।

आवास का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र श्रीघेवरचन्द जैन (पीपाड़ा) पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन (पीपाड़ा) के पक्ष में क्रमांक 1081 दिनांक 26.06.1998 को जारी किया गया। आवास का पंजीयन श्री घेवरचन्द जैन (पीपाड़ा) पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन (पीपाड़ा) के पक्ष में जारी किये जो कि उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 30.06.1998 को पंजीकृत हैं।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16.07.2007 को श्री घेवरचन्द जैन (पीपाड़ा) पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन (पीपाड़ा) द्वारा श्री इस्लामुद्दीन गौरी पुत्र श्री नजर मोहम्मद गौरी को बेचान किया गया।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्ट्री दिनांक 14.03.2011 को श्री इस्लामुद्दीन गौरी पुत्र श्री नजीर मोहम्मद गौरी द्वारा श्री मनोज सुखानी पुत्र श्री अशोक कुमार मनसुखानी एवं और अशोक कुमार पुत्र श्री जयरामदास मनसुखानी को बेचान किया गया।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्ट्री दिनांक 30.01.2018 को श्री मनोज सुखानी पुत्र श्री अशोक कुमार मनसुखानी एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयरामदास मनसुखानी द्वारा श्री मोहनलाल पुत्र श्री मदनलाल राव को बेचान किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्री मोहनलाल पुत्र श्री मदनलाल राव द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रू.17700/-दिनांक 09.07.2019 जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वंय के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण / नामान्तरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं जिसकी मध्यल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी /आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता- राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा